जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

ग्राम – मदाऊ, पोस्ट – भांकरोटा, जयपुर– 302026

क्रमांक : प( )जरारासंविवि / शैक्ष. / 16 /   दिनांकः

कार्यपरिषद की 57 वीं बैठक दिनांक 30.08.2017 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय में कार्यपरिषद की 57 वीं बैठक का आयोजन दिनांक 30.08.2017 को दोपहर 01.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित सभाकक्ष में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः–

1. **प्रो. विनोद कुमार शर्मा, माननीय कुलपति महोदय – अध्यक्ष**
2. **प्रो. ताराशंकर शर्मा, आचार्य साहित्य विभाग, जरारासंविवि, जयपुर**
3. **प्रो. लालचन्द शर्मा, दर्शन संकायाध्यक्ष, राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर**
4. **डॉ. राजधर मिश्र, सह आचार्य व्याकरण, जरारासंविवि, जयपुर**
5. **श्री भगवत सिंह देवल, कुलसचिव–सदस्य सचिव, जरारासंविवि, जयपुर**

डॉ. राजधर मिश्र, सह आचार्य द्वारा वैदिक मंगलाचरण के उपरान्त बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई तथा निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

क्र.सं.	बिन्दु संख्या	बिन्दु	निर्णय
1.	57–01	कार्यपरिषद् की 56वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	56वीं कार्यपरिषद् के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई ।
2.	57–02	कार्यपरिषद की 54वीं बैठक के निर्णय संख्या 54–6 में परीक्षा वर्ष 2016 में सिलिंग सीमा 60,000/– किये जाने की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई ।
3.	57–03	शैक्षणिक शाखा से प्राप्त यू. ओ. नोट क्रमांक 24 दिनांक 21.08.2017 के द्वारा छात्रसंघ निर्वाचन 2017 के संविधान में किये गये संशोधन की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई ।
4.	57–04	अनुसंधान सहायक से प्राप्त कार्यालय टिप्पणीनुसार संविदा आधार पर कार्यरत अनुसंधान सहायक का वेतनमान प्रतिमाह 15,000/– रूपये से बढाकर प्रतिमाह 25,000/– रूपये किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ।	अनुसंधान सहायक के मानदेय के निर्धारण हेतु एक कमेटी का गठन किया गयाः– 1. डॉ0 के0 साम्बशिवमूर्ति–निदेशक अनुसंधान केन्द्र 2. डॉ0 राजधर मिश्र–सदस्य कार्यपरिषद् 3. डॉ0 भास्कर श्रोत्रिय उक्त समिति 15 दिवस में अपनी रिपोर्ट माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी।
5.	57–05	निदेशक, शैक्षणिक परिसर से प्राप्त कार्यालय आदेश क्रमांक 12851–56 दिनांक 18.07.17 एवं आदेश क्रमांक 13012 दिनांक 19.08.17 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017–18 में एम.ए./एम.एस.सी. योग (दो वर्षीय) पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में 60 सीटों से बढाकर 80 सीटे व 80 सीटों से बढाकर 100 सीटे किये जाने के प्रस्ताव की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई ।
6.	57–06	सामान्य प्रशासन शाखा के आदेश क्रमांक 5231–47 दिनांक 22.08.2017 के द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/अधिकारियों/कार्मिकों की मांग पर दिनांक 25.08.2017 को किये गये अवकाश की पुष्टि तथा विश्वविद्यालय की 55वीं कार्यपरिषद् की	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई । विश्वविद्यालय में अनन्त चतुर्दशी, मेला छठ आमेर का अवकाश एवं दिपावली अवकाश दिनांक 10.10. 2017 से 12.10.2017 का भी अवकाश रखे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

30.8.2017   30/8/17   30.08.17

		बैठक के निर्णय संख्या 55–7 में लिये गये निर्णय में कुछ महत्वपूर्ण अवकाश से वंचित होने के कारण उक्त जारी कलेण्डर पर पुर्नविचार हेतु प्रस्तुत।	
7.	57–07	शैक्षणिक शाखा के कार्यालय आदेश क्रमांक 3752–53 दिनांक 19.07.2017 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017–18 में शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों की अस्थाई सम्बद्धता शुल्क 82,500/– प्रति यूनिट (50 छात्र) किये जाने की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई ।
8.	57–08	संस्थापन शाखा से प्राप्त पत्र क्रमांक 5323–26 दिनांक 23.08.2017 में उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी स्वीकृति पत्रांक प18 (10)शिक्षा–6/2016 दिनांक 23.08.2017 के अनुसार श्री शिवकान्त शर्मा, जो विश्वविद्यालय में विशेषाधिकारी के पद पर कार्यरत है। इनके कार्यकाल में दिनांक 24.08.2017 से एक वर्ष की अवधि तक वृद्वि किये जाने की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई ।
9.	57–09	राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रप–4) विभाग के पत्र क्रमांक प 18(2)शिक्षा–4/2015/विविध–1 दिनांक 06.09.2016 में श्री प्रतीक, सहायक कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर में कार्य व्यवस्थार्थ लगाये जाने की सहमति प्रदान की गई। श्री प्रतीक द्वारा दिनांक 10.09.2016 को इस विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया, श्री प्रतीक को उक्त तिथि से वेतन नहीं दिया गया, उक्त प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।	राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रप–4) विभाग के पत्र क्रमांक प 18(2)शिक्षा–4/2015/विविध–1 दिनांक 06.09.2016 में श्री प्रतीक, सहायक कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर में कार्य व्यवस्थार्थ लगाये जाने के आदेश प्राप्त हुए, जिसकी अनुपालना में दिनांक 10.09.2016 को कार्यभार ग्रहण किया। उक्त तिथि से श्री प्रतीक, सहायक कुलसचिव के पद पर कार्यरत हैं। श्री प्रतीक को महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय अजमेर के पत्र क्रमांक एफ–1( ) संस्था/मदसविवि/2017/3878 दिनांक 30.08. 2017 द्वारा इस विश्वविद्यालय को यह सूचित किया गया कि श्री प्रतीक को मदसविवि, अजमेर से उक्त अवधि का कोई वेतन भुगतान नहीं किया। श्री प्रतीक द्वारा विशेषाधिकारी, माननीय कुलाधिपति महोदय को दिनांक 16.05.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके क्रम में राजभवन के पत्र क्रमांक एफ.26(4)आरबी/2016/4025 दिनांक 22 मई, 2017 के द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित किया गया। इसी क्रम में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक में उक्त प्राप्त पत्र के क्रम में विचार–विमर्श कर श्री प्रतीक को दिनांक 10.09.2016 से इस विश्वविद्यालय में कार्यरत रहने तक का वेतन भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया।
10.	57–10	विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले तृतीय दीक्षांत समारोह में डी.लिट. (मानद उपाधि) प्रदान किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ।	विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले तृतीय दीक्षान्त समारोह में डी.लिट् (मानद उपाधि) प्रदान किए जाने के प्रस्ताव की पुष्टि की गई तथा इस सन्दर्भ में मापदण्ड निर्धारण करने के लिए निम्नानुसार एक कमेटी का गठन किया जाता है:– 1. प्रो0 युगल किशोर मिश्र–वाराणसी 2. प्रो0 हरेकृष्ण शतपथी 3. प्रो0 सुरेन्द्र कुमार शर्मा 4. प्रो0 श्रीकृष्ण शर्मा 5. प्रो0 ताराशंकर शर्मा उक्त समिति अपनी रिपोर्ट एक माह में माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी।
11.	57–11	कार्यपरिषद् की 54 वीं बैठक के निर्णय संख्या 11 में योग संविदा व्याख्याताओं का वेतन 45000/– प्रतिमाह निर्धारित है। विश्वविद्यालय में अन्य	वर्तमान में विश्वविद्यालय के योग विभाग में दो स्थायी सहायक आचार्यो की नियुक्ति होने के कारण विश्वविद्यालय में अन्य संविदा व्याख्याताओं के

30/8/17 30.08.17 30.8.17

		संविदा शिक्षकों का वेतनमान 25000 / – प्रतिमाह है। अतः संविदा योग शिक्षकों का वेतनमान पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है।	अनुरूप मानदेय दिए जाने का निर्णय लिया गया।
12.	57–12	विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर व यू.पी.एस. तथा 06 नयें A.C. खरीदने का प्रस्ताव विचारार्थ / निर्णयार्थ।	विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर व यू.पी.एस. तथा 06 नयें A.C. खरीदने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया तथा साथ ही कार्यपरिषद् की 21वीं बैठक दिनांक 17.04.2006 के क्रम में एक समिति का गठन किया जाता है जो नियमों के अन्तर्गत उक्त सामग्री का क्रय करेगी:– समिति के सदस्य निम्नलिखित होगें:– 1. कुलसचिव 2. वित्त नियंत्रक 3. डॉ0 राजधर मिश्र 4. सहायक कुलसचिव–स्टोर
13.	57–13	संस्थापन के कार्यालय आदेश 5366–76 दिनांक 24.08.2017 निदेशक शैक्षणिक परिसर के अन्तर्गत संचालित विभागों में कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति विभागवार न करके समस्त विभागों की उपस्थिति निदेशक शैक्षणिक परिसर की उपस्थिति पंजिका में संधारित किये जाने के आदेश की पुष्टि।	उक्त आदेश माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रसारित है। जिसकी पालना करते हुए कार्यपरिषद् ने इसकी पालना करने की अनुशंषा करने के साथ कार्यपरिषद् के सभी सदस्यों ने इसक विषय में सभी विभागाध्यक्षों से हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र पर विचार कर निर्णय लेने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
14	57–4	पीएसएसटी–2017 में कुलसचिव व वित्त नियंत्रक को भुगतान किए जाने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।	सर्वसम्मति से तीन सदस्यों की समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य निम्नानुसार होगें:– 1. डॉ0 राजधर मिश्र 2. सहायक कुलसचिव–परीक्षा 3. श्री देवकीनन्दन गर्ग– उक्त समिति सात दिवस में अपनी रिपोर्ट माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट के आधार पर भुगतान के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

30.8.17 (प्रो0 विनोद कुमार शर्मा)

30/8/17 (प्रो0 ताराशंकर शर्मा)

30.08.17 (प्रो0 लालचन्द शर्मा)

30.8.2017 (डॉ0 राजधर मिश्र)

(भगवत सिंह देवल)